

0. 18/02/18

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन जिला करौली
सरकार जरिये तहशीलदार हिण्डौन बनाम ~~...~~ ~~...~~
किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट
मुकदमा नं. 98/2017

अदालत
तारीख

हुक्म या कार्यवाही मग इनिशियल्स जज

13/02/22

उपरोक्त मुकदमा तहशीलदार हिण्डौन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विरुद्ध अप्राप्तीय इस न्यायालय में दिनांक 29.12.2017 को पेश किया। उक्त जनवाणी प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.12.2017 को रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया है। स्थगन आदेश होने के कारण उक्त प्रकरण में तहशीलदार हिण्डौन ने रिकार्ड में तब्दीली करने में असमर्थता जाहिर की है तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट जाहिर है कि उक्त प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए राज्य सरकार जरिये तहशीलदार हिण्डौन की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है साथ ही तहशीलदार हिण्डौन को निर्देशित किया जाना भी न्यायोचित है कि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से रिकार्ड एवं मौके की जाँच पडताल करते हुए प्रकरण का नियमानुसार निरतारण की कार्यवाही सेग्रीगेशन के अन्तर्गत करते हुए ऑनलाईन रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

अतः राज्य सरकार जरिये तहशीलदार हिण्डौन की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वारिज किया जाता है तथा मूल पत्रावली तहशीलदार हिण्डौन को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से रिकार्ड एवं मौके की जाँच पडताल करते हुए प्रकरण का नियमानुसार निरतारण की कार्यवाही अपने स्तर पर सेग्रीगेशन के अन्तर्गत करते हुए ऑनलाईन रिकार्ड में दुरुस्ती करें तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 29.12.2017 को जारी स्थगन आदेश विद्वद्धो किये जाते हैं। पत्रावली फौसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुरासिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली